पत्र संख्या-एन0/गृ0वि0आ0-02-04/2016......19......../

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

फैक्स
निबंधित
ई-मेल

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
सीतामढ़ी।

पटना, दिनांक ......12/01/17......

विषय :- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में बजट शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-0003-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (सम्मान भत्ता) के अन्तर्गत निधि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राज्य स्तर से देय विशेष भत्ता भुगतान के निमित्त पूर्व में विभागीय पत्रांक-310 दिनांक-24.06.2016 एवं पत्रांक-410 दिनांक-31.08.2016 द्वारा 12 महीने के लिए आपके जिलान्तर्गत एकमुश्त कुल राशि 54,00,000/- रूपये मात्र की आवंटित राशि के अतिरिक्त वर्तमान में आपसे प्राप्त अधियाचना पत्र सं0-1721/जि0सा0 दिनांक-10.12.2016 के आलोक में **12,39,000/-** (बारह लाख उनचालीस हजार) रूपये का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है :-

जिला का नाम एवं पत्रांक/ दिनांक	इकाई	वर्तमान में आवंटित राशि	पूर्व आवंटित राशि पत्रांक-310 दिनांक-24.06.2016 एवं पत्रांक-410 दिनांक-31.08.2016	कुल आवंटित राशि
सीतामढ़ी 1721/जि0सा0 दिनांक-10.12.2016	बजट शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	**12,39,000**	54,00,000/-	**66,39,000/-**

(2) उपर्युक्त राशि का व्यय, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200- अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-0003-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता, के विषय शीर्ष-0401-पेंशन, मांग संख्या-22 तथा विपत्र कोड सं0-एन223560200003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) आवंटित राशि में से केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को ही जिलाधिकारी द्वारा उचित पहचान के आधार पर पूर्व की भाँति विशेष भत्ता प्रति माह भुगतान किया जायेगा।

(4) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या सं0-2561, दिनांक- 17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(5) प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना इसके नियंत्रण पदाधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ववत घोषित रहेंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

P.T.O

(6) उक्त आवंटन से स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रित पेंशनधारियों को राज्यांश, उच्च न्यायालय से आच्छादित मामले एवं बकाये का भुगतान नियमानुसार किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित होना चाहेंगे कि बकाये आदि का भुगतान पूर्व में नहीं की गयी हो।

(7) उक्त आवंटित राशि का भुगतान किसी कारणवश नहीं हो पाने की स्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-2017 की समाप्ति के पूर्व विभाग को निश्चित रूप से कर दिया जायगा।

(8) उक्त आवंटन के अतिरिक्त यदि राशि की आवश्यकता हो तो अविलम्ब विस्तृत अधियाचना भेजी जाय।

विश्वासभाजन,

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव
11.1.17